मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 29, 1943)

समय 11.00 बजे दिन.

1. शपथ

उप चुनाव में निर्वाचित निम्नलिखित सदस्य शपथ लेंगे / लेंगी, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे/करेंगी और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे/करेंगी.

(1) डॉ. शिशुपाल यादव (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 45-पृथ्वीपुर),
(2) श्रीमती कल्पना वर्मा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 62-रैगांव (अ.जा.)), तथा
(3) श्रीमती सुलोचना रावत(निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 192-जोबट (अ.ज.जा.)).

2. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री नानालाल पाटीदार, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) श्री मूलचंद खंडेलवाल, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(4) श्री शिव चरण पाठक, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री चंद्रदर्शन गौड़, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(6) डॉ. (श्रीमती) रानी दुबे, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(7) श्री ऑस्कर फर्नांडिस, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(8) डॉ. एस.एन. सुब्बाराव, प्रख्यात गांधीवादी एवं समाजसेवी,
(9) डॉ. एन.पी. मिश्रा, भोपाल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक,
(10) भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत सहित शहीद अन्य सैन्य अधिकारी, तथा
(11) कश्मीर के सोपिया में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जवान.

3. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

4. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पटल पर रखेंगे.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री** –

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-1,

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-2,

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(v) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-5, एवं

(vi) मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वर्ष 2019-2020 एवं मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2019-2020, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 88 वां एवं 89 वां प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 तथा 2015-2016

पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री**, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ 2-12-2018-सात-7, दिनांक 10 मार्च, 2021, एवं
(ख) क्रमांक एफ-2-12-2018-सात-शा-7 (शुद्धि पत्र), दिनांक 29 जून 2021

पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,
(ख) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-2020,
(ग) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,
(घ) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,
(ङ) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-2020, एवं
(च) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020

पटल पर रखेंगे.

(4) **डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री** -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, एवं

(ख) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020

पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा** -

(क) मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम-48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2019-2020, एवं

(ख) भारत सरकार की गाईड लाईन के बिन्दु क्रमांक-2 के उप बिन्दु (7) की अपेक्षानुसार समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2019-2020

पटल पर रखेंगे.

6. अगस्त, 2021 सत्र की स्थगित बैठकें दिनांक 11 एवं 12 अगस्त, 2021 की प्रश्नोत्तर सूचियां तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-8 पटल पर रखा जाना.

7. नियम 267-क के अधीन अगस्त, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्रीमती कृष्णा गौर**, सदस्य, भोपाल नगर निगम क्षेत्र की भूमियों पर भू-राजस्व / लगान पर पंचायत उपकर का आरोपण किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) **डॉ. सतीश सिकरवार, श्री संजीव सिंह "संजू "**, सदस्य, ग्वालियर एवं चम्बल संभाग सहित अन्य जिलों में बाजरे की खरीदी न होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

10. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

सुश्री मीना सिंह माण्डवे, जनजातीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगी -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2021-2022 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

11. पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-द के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2021-2022 के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें आठ सदस्य शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

12. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) **डॉ. कुँवर विजय शाह, वन मंत्री**, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 29 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री**, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 30 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) **श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री**, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) **डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री**, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 32 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 दिसम्बर, 2021.